जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 18.10.2024**

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में जानलेवा हमला करने व नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 08.08.2024 को वादिया श्रीमती जमशीदा पत्नी शमशाद निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली नें अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज, मारपीट कर जानलेवा हमला करने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 18.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में जानलेवा हमला करने व नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त मामले में 02 अभियुक्तों अफसरुन व आसमौहम्मद को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अहसान पुत्र इलियास निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री दीपचन्द थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 रिंकू भाटी थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 कुलवन्त थाना कैराना जनपद शामली।

4.का0 भानु थाना कैराना जनपद शामली।

<u>जनपद शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 18.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना/कांधला/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-</u>

1.फैय्याज पुत्र असगर निवासी ग्राम सलारा कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.प्रीतम पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम शीतलगढी थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.इतवारी पुत्र चतर सिंह निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.बाबू पुत्र पूरणचन्द उर्फ पूरण निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.अफसर पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

6.रवि पुत्र राजवीर निवासी गौशाला रोड थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

7.कुंवरपाल पुत्र रामसिंह निवासी टोडा थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 05 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 8,600/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2011 में अभियुक्त अलीहसन पुत्र नाजर निवासी भडी थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 193/2011 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.10.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 1998 में अभियुक्त खालिद पुत्र नईम निवासी ग्राम बुटराडा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 284/1998 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.10.2024 को माननीय न्यायालय CJ(SD)/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा व 1,100/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2010 में अभियुक्त शमीम पुत्र कासिम निवासी मौहल्ला प्रेमनगर बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 1085/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.10.2024 को माननीय न्यायालय CJ(SD)/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4. वर्ष 2021 में अभियुक्तगण 1.अलीशान पुत्र उमरदीन निवासी गोगवान थाना कैराना जनपद शामली 2.सुमित उर्फ बन्दर पुत्र बाबूराम निवासी अकबरपुर सुनहैटी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 82/2021 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.10.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 380 में जेल में बितायी गयी अवधि (3वर्ष 3माह 26दिन) के कारावास व 1,000-1,000/- रुपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त आलीशान को धारा 411 भादवि में 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त अलीशान को 10 दिवस व अभियुक्त सुमित को 05 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.अलीहसन पुत्र नाजर निवासी भडी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.खालिद पुत्र नईम निवासी ग्राम बुटराडा थाना बाबरी जनपद शामली।

3.शमीम पुत्र कासिम निवासी मौहल्ला प्रेमनगर बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

4.अलीशान पुत्र उमरदीन निवासी गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।

5.सुमित उर्फ बन्दर पुत्र बाबूराम निवासी अकबरपुर सुनहैटी थाना कैराना जनपद शामली।